बिहार विधान परिषद् दैनिक विवरणिका

संख्या- 4 सत्र- 191वां

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख
बृहस्पतिवार, दिनांक 14.2.2019 ई.

माननीय कार्यकारी सभापति श्री मो. हारूण रशीद की
अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही आरंभ हुई।

12.00 मध्याह्न से 4.50 अपराह्न तक

1. कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आसन का ध्यान आकृष्ट किया जाना एवं आसन का नियमन

सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही माननीय मुख्य सचेतक, विरोधी दल, श्री सुबोध कुमार ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के संबंध में कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आसन का ध्यान आकृष्ट कराया, जिसका समर्थन माननीय सदस्य, डा. रामचन्द्र पूर्वे ने किया जबकि सत्तापक्ष की ओर से कई माननीय सदस्यों ने कार्यस्थगन का विरोध किया।

कार्यस्थगन प्रस्ताव पर आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि इसपर चर्चा हो चुकी है, इसलिए इसको कार्यस्थगन में नहीं लाया जा सकता है एवं नियमानुसार श्री सुबोध कुमार, माननीय मुख्य सचेतक, विरोधी दल से प्राप्त कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना को बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के कार्यस्थगन प्रस्तावों की अस्वीकृति की आधार संख्या-4, 5, 8, 26 एवं 39 के आलोक में अस्वीकृत कर दिया गया है।

2. प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न

प्रश्न संख्या- 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35 उत्तरित हुए।
प्रश्न संख्या- 31, 34 सदन पटल पर रखे गये।
प्रश्न संख्या- 32 अनागत हुआ।

आसन का नियमन

अल्पसूचित प्रश्न संख्या- 27 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय मंत्री, यह महत्वपूर्ण विषय है इसलिए इसको गंभीरता से लेते हुए किसी वरीय पदाधिकारी से इसकी जांच करा दीजिए और उचित कार्रवाई कीजिए।

तारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या- 49 से 56, 58, 59, 60, 61 उत्तरित हुए।
प्रश्न संख्या- 57 व्यपगत हुआ।
प्रश्न संख्या- 62, 64, 66, 69 सदन पटल पर रखे गए।
प्रश्न संख्या– 63, 65, 67, 68, 70 अनागत हुए।

आसन का नियमन

तारांकित प्रश्न संख्या- 59 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय मंत्री, उसपर कार्रवाई करवाइए।

3. औपचारिक कार्य

श्री रामलषण राम रमण द्वारा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक एवं संकल्प संबंधी समिति द्वारा समिति का 190वें प्रतिवेदन की एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई एवं सदन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

4. शून्यकाल

शून्यकाल के दौरान निम्नांकित माननीय सदस्यों ने विभिन्न विषयों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया-

1. श्री राधाचरण साह
2. श्री तनवीर अख्तर
3. श्री दिलीप कुमार चौधरी
4. प्रो. नवल किशोर यादव

आसन का निदेश

माननीय सदस्य, श्री राधाचरण साह की शून्यकाल की सूचना पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह निदेश देने की कृपा की गई कि आप दे दें, सरकार इसे देखेगी।

माननीय सदस्य, श्री तनवीर अख्तर की शून्यकाल की सूचना पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह निदेश देने की कृपा की गई कि आप दे दें, सरकार इसे देखेगी।

माननीय सदस्य, श्री दिलीप कुमार चौधरी की शून्यकाल की सूचना पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह निदेश देने की कृपा की गई कि आप दे दें, सरकार इसे देखेगी।

माननीय सदस्य, श्री नवल किशोर यादव की शून्यकाल की सूचना पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह निदेश देने की कृपा की गई कि आप दे दें, सरकार इसे देखेगी।

5. ध्यानाकर्षण

1. माननीय सदस्य, सर्वश्री केदारनाथ पाण्डेय, संजीव कुमार सिंह एवं संजय कुमार सिंह द्वारा पटना, गया एवं मुजफ्फरपुर में प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए तत्काल ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान या आपातकालीन उपाय लागू करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

   इसपर सरकार की ओर से माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री सुशील कुमार मोदी ने वक्तव्य दिया।

(अंतराल)

2. माननीय सदस्य, प्रो. नवल किशोर यादव द्वारा बिहार मद्य निषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप दिनांक 01.04.2016 से 01.10.2016 तक की अवधि में अभियुक्तों को दी गई सजा में बदलाव करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने वक्तव्य दिया।

3. माननीय सदस्या, श्रीमती मनोरमा देवी द्वारा राज्य के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लंबित वेतन भुगतान के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा ने वक्तव्य दिया।

4. माननीय सदस्य, श्री अशोक कुमार अग्रवाल द्वारा कटिहार स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र अंतर्गत निर्मित विभन्न योजनाओं के शिलापट्ट पर नाम अंकित नहीं किये जाने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाना।

माननीय सदस्य अनुपस्थित।

5. माननीय सदस्य, श्री ललन कुमार सर्राफ द्वारा मधेपुरा नगर परिषद् के स्टेशन रोड एवं पूर्णिया गोला चौक तक सड़क के दोनों तरफ नाला निर्माण के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से समय लिया गया।

6. माननीय सदस्य, सर्वश्री हरिनारायण चौधरी, दिलीप कुमार जायसवाल, दिलीप कुमार चौधरी एवं मो. कमर आलम द्वारा नगर परिषद् सासाराम के नगर कार्यपालक पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से समय लिया गया।

6. **गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य (गैर-सरकारी संकल्प)**

1. माननीय सदस्य, श्री रजनीश कुमार का प्रस्ताव कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'मानवजनित आपदा दुर्घटना में एकल मृत्यु की स्थिति में भी मृतक के परिजन को चार लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान करे।'

माननीय सदस्य अनुपस्थित।

2. माननीय सदस्य, डा. संजीव कुमार सिंह ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा-59 (5) के आलोक में राज्य के संबद्धता प्राप्त डिग्री महाविद्यालयों में शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मियों के हित में जीवन बीमा एवं भविष्यनिधि के साथ-साथ पेंशन योजना से आच्छादित करे।'

प्रस्ताव वापस हुआ।

3. माननीय सदस्य, श्री आदित्य नारायण पाण्डेय ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'राज्य के प्रत्येक पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण करे।'

प्रस्ताव वापस हुआ।

4. माननीय सदस्य, श्री ललन कुमार सर्राफ ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'पटना स्थित पुनाईचक पार्क में शूरवीर भामाशाह की प्रतिमा स्थापित करे।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

5. माननीय सदस्य, श्री केदार नाथ पाण्डेय ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत विश्वप्रसिद्ध केसरिया स्तूप को बौद्ध सर्किट से जोड़े।'

प्रस्ताव वापस हुआ।

6. माननीय सदस्य, श्री रामलषण राम 'रमण' ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'मधुबनी जिलान्तर्गत अंधराठाढ़ी प्रखण्ड मुख्यालय में अवस्थित +2 परियोजना बालिका उच्च विद्यालय, अंधराठाढ़ी का भवन निर्माण कर छात्राओं की शिक्षा को सुदृढ़ करे।'

प्रस्ताव वापस हुआ।

7. माननीय सदस्य, डा. वीरेन्द्र नारायण यादव ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'गोपालगंज जिला के छाड़ी नदी का मुहाना खोले।'

प्रस्ताव वापस हुआ।

8. माननीय सदस्य, श्री कृष्ण कुमार सिंह ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'विश्वप्रसिद्ध 'गया' के तिलकुट को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पाद के अनूठेपन की प्रामाणिकता दिलाने के लिए जी आई टैग (मार्क) दे।'

प्रस्ताव वापस हुआ।

9. माननीय सदस्य, श्री दिलीप राय ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'शिवहर में पूर्वी चम्पारण जिला के पकड़ीदयाल एवं सिकरहना अनुमंडल को जोड़कर शिवहर जिला को विस्तारित करे।'

प्रस्ताव वापस हुआ।

10. माननीय सदस्य, श्री नवल किशोर यादव ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के नियोजित शिक्षकों को नियमित वेतन भुगतान करे।'

प्रस्ताव वापस हुआ।

11. माननीय सदस्य, श्री दिलीप कुमार चौधरी ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'मैथिली को शास्त्रीय भाषा के रूप में अधिसूचित करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुशंसा करे।'

प्रस्ताव वापस हुआ।

12. माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'राज्य सरकार के विभिन्न आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की तरह त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करे।'

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

13. माननीय सदस्य, श्री हीरा प्रसाद बिन्द ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'नालन्दा जिलान्तर्गत हिलसा प्रखण्ड के इंदौत पंचायत के ग्राम बभनवरूई से बेलदारी बिगहा तक सम्पर्क पथ का निर्माण करे।'

प्रस्ताव वापस हुआ।

14. माननीय सदस्य, डा. रामवचन राय ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'पटना स्थित 'जननायक कर्पूरी ठाकुर संग्रहालय के नाम में परिवर्तन करते हुए उसे जननायक कर्पूरी ठाकुर सामाजिक-राजनीतिक अध्ययन एवं शोध-संस्थान' के रूप में अधिसूचित करे।'

प्रस्ताव वापस हुआ।

15. माननीय सदस्य, श्री रामचन्द्र पूर्वे ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'राज्य में समान स्कूल शिक्षा प्रणाली लागू करे।'

प्रस्ताव वापस हुआ।

16. माननीय सदस्य, श्री रामचन्द्र भारती ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'बख्तियारपुर फोरलेन से रेलवे अंडरपास होते हुए बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज तक पक्की सड़क का निर्माण करे।'

प्रस्ताव वापस हुआ।

17. माननीय सदस्य, श्री राजेश राम ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'पश्चिमी चम्पारण जिला स्थित बगहा पुलिस को राजस्व जिला बनावे।'

प्रस्ताव वापस हुआ।

18. माननीय सदस्य, श्री राधाचरण साह ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'बिहार के किसानों का कृषि संबंधी सभी प्रकार का ऋण सूद सहित माफ करे।'

प्रस्ताव वापस हुआ।

19. माननीय सदस्य, श्री संजय प्रसाद ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना तथा मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना की तर्ज पर 'मुख्यमंत्री सामान्य वर्ग छात्रावास अनुदान योजना' प्रारंभ करते हुए छात्रावासों में रहनेवाले सामान्य वर्ग के प्रत्येक छात्र-छात्राओं को समान सुविधा प्रदान करे।'

प्रस्ताव वापस हुआ।

20. माननीय सदस्या, श्रीमती नूतन सिंह ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'सुपौल जिला के करजाईन बाजार स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम पूर्व मंत्री स्व. प्रो. बैद्यनाथ मेहता के नाम करे।'

प्रस्ताव वापस हुआ।

21. माननीय सदस्या, श्रीमती रीना देवी उर्फ रीना यादव ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डा. श्री कृष्ण बाबू के सरकारी आवास 4 के.जी. का नामकरण श्रीकृष्ण मेमोरियल के नाम करे।'

प्रस्ताव वापस हुआ।

22. माननीय सदस्य, श्री सतीश कुमार ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'बिहार में तुरहा जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान करे।'

प्रस्ताव वापस हुआ।

23. माननीय सदस्य, श्री सुमन कुमार ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) के क्रमांक-20 पर दर्ज बनिया की उपजाति सूढ़ी को अत्यंत पिछड़ी जाति (अनुसूची-1) के रूप में कानूनी मान्यता प्रदान करे।'

प्रस्ताव वापस हुआ।

7. निवेदन

निवेदन के माध्यम से निम्नांकित माननीय सदस्यों ने सदन का ध्यान आकृष्ट किया-

1. श्री सुबोध कुमार
2. प्रो. संजय कुमार सिंह
3. श्री सतीश कुमार
4. श्री केदारनाथ पाण्डेय
5. श्री रामचन्द्र पूर्वे
6. श्री मनोज यादव
7. श्री सलमान रागिब
8. श्री हीरा प्रसाद बिन्द
9. श्री अर्जुन सहनी
10. प्रो. नवल किशोर यादव
11. श्री दिलीप राय
12. श्री नीरज कुमार
13. श्री राधाचरण साह

माननीय कार्यकारी सभापति महोदय ने सदन की अनुमति से यह निदेश देने की कृपा की कि प्राप्त सभी निवेदनों को निवेदन समिति के माध्यम से संबंधित विभागों को प्रेषित किया जाय।

तत्पश्चात् परिषद् की बैठक शुक्रवार, दिनांक 15.2.2019 को 11.00 पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई।

14/02/2019

(सुभीम शर्मा)
मुख्य प्रतिवेदक,
बिहार विधान परिषद्।

ज्ञापांक- 283 (3) / वि.प. पटना, दिनांक 14.2.2019

प्रतिलिपि : बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण/ महामहिम राज्यपाल के सचिव, बिहार/ माननीय महाधिवक्ता, बिहार/ माननीय लोकायुक्त, बिहार/ बिहार सरकार के सभी विभाग तथा विभागाध्यक्ष/ सभी राज्यों के विधानमंडलों के सचिव/ लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली/ विधि मंत्रालय, नई दिल्ली/ पुस्तकालयाध्यक्ष, संसद भवन, नई दिल्ली/ बिहार विधान मंडल पुस्तकालय, पटना/ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार/ अधिष्ठान निदेशक, आकाशवाणी, पटना/ समाचार संपादक, दूरदर्शन केन्द्र, पटना/ सचिव, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रमोद कुमार
14-02-2019

(प्रमोद कुमार)
वरीय प्रतिवेदक,
बिहार विधान परिषद्।